

अंतिम डिक्री मुकदमा इबताई
(रूल्स 18-21)
**न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़
(राज.)**

अनवान

1. रतनसिंह पिता कालू सिंह जाति राजपुत आयु 70 वर्ष निवासी चटावटी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

वादी

बनाम

1. उदेसिंह पिता प्रतापसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी चटावटी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. लालसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी चटावटी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्यामसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी चटावटी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्रीमति मु० अजय कुँवर पत्नि स्व श्री भैरूसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी चटावटी जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
5. श्री राज्यसरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
6. श्री शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता श्री एसएल चौधरी
एकतरफा

वादी।
प्रतिवादी।

--:: अन्तर्गत धारा 88,89,188 एवं 53 राज०टिनेन्सी एक्ट बाबतु ::--

प्रकरण संख्या :- 029/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रूबरू श्री एसएल चौधरी वकील वादी एवं प्रतिवादी की अनुपस्थित में मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा चटावटी पटवार हल्का अडाना तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 470 रकबा 0.2914 है० किस्म ब.गो. लगान 4.14 रूपया, आराजी संख्या 471 रकबा 0.2428 है० किस्म ब.गो. लगान 3.45 रूपया, आराजी संख्या 474 रकबा 0.2752 है० किस्म ब.गो. लगान 3.91 रूपया, आराजी नम्बर 476 रकबा 1.2060 है० किस्म चा० लगान 19.78 रूपया, आराजी नम्बर 479 रकबा 0.2428 है० किस्म बी-1 लगान 1.05 रूपया, आराजी नम्बर 480 रकबा 0.4694 किस्म ब.गो. लगान 6.67 रूपया, आराजी नम्बर 507 रकबा 0.1862 किस्म बा-2 लगान 0.80



(नीता बरीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी



रूपया, आराजी नम्बर 509/1 रकबा 0.2244 है० किस्म बी-1 लगान 0.95
 रूपया, आराजी नम्बर 509 मी० रकबा 0.3826 है० किस्म बी-1 लगान 1.
 70 रूपया कुल किता 9 कुल रकबा 3.5208 हैक्टर कुल लगान 42.73
 रूपया का रतनसिंह पिता कालु सिंह राजपुत सा०चटावटी खातेदार, आराजी
 नम्बर 481 रकबा 0.0809 है० किस्म आ०चा० लगान-, आराजी नम्बर 482
 रकबा 0.0971 है० किस्म रास्ता, कुल किता 2 कुल रकबा 0.1780 का
 अजब कुंवर पत्नि भैरुसिंह 1/12, उदेसिंह पुत्र प्रतापसिंह 1/4, रतनसिंह पुत्र
 कालुसिंह 1/2, लालसिंह पुत्र भैरुसिंह 1/12, श्यामसिंह पुत्र भैरुसिंह 1/12,
 राजपुत सा.देह खातेदार, आराजी नम्बर 469 रकबा 0.3885 है० किस्म ब.गो.
 लगान 5.52 रूपया, आराजी नम्बर 472 रकबा 0.2671 किस्म ब.गो. लगान
 3.80 रूपया, आराजी नम्बर 475 रकबा 1.4083 है० किस्म चा.,जा.,बी.
 लगान 21.01, आराजी नम्बर 477 रकबा 0.3804 है० किस्म चाह,जा., लगान
 6.44 रूपया, आराजी नम्बर 478 रकबा 0.1214 है० किस्म बी०-1 लगान
 0.52 रूपया, आराजी नम्बर 508 रकबा 0.1781 है० किस्म बा.-2, लगान
 0.77 रूपया, आराजी नम्बर 509/2 रकबा 0.7770 है० किस्म बी-1 लगान
 3.33 रूपया कुल किता 7 कुल रकबा 3.5208 है० कुल लगान 41.39
 रूपया का अजब कुंवर पत्नि भैरु सिंह 1/6, उदेसिंह पुत्र प्रताप सिंह 1/2, लाल
 सिंह पुत्र भैरुसिंह 1/6, श्यामसिंह पुत्र भैरुसिंह 1/6, राजपुत सा०देह तन्हों
 खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तूर रखा जावे एवं स्थाई
 निषेधाज्ञा पक्ष वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है
 कि प्रतिवादी वादी के कब्जे काशत में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे एवं
 ना ही करावें। तदनुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर पृथक-पृथक खाते
 कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा
 जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। पर्चा अंतिम डिक्री जारी की
 जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक **22.08.2022** को सरे इजलास लिखाया जाकर
 सुनाया गया।



(नीता वसीटा)
 सहायक कलेक्टर,
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राशमी

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयत	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत०			मुत०		
मिलान			मिलान		

(नीता वसीटा)
 सहायक कलेक्टर,
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राशमी